



Neutral Citation No. - 2026:AHC:128957

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

दाण्डिक प्रकीर्ण जमानत प्रार्थना पत्र संख्या - 16680 वर्ष 2026

मोहित पासवान

.....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 4 अन्य

.....विपक्षी

आवेदक के अधिवक्ता : श्री प्रकाश द्विवेदी

विपक्षी के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता, रफीका अनीस खान, रतन कुमार मिश्रा

न्यायालय संख्या - 71

माननीय विवेक कुमार सिंह, न्यायमूर्ति

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री प्रकाश द्विवेदी का कार्यभार देख रहे अधिवक्ता श्री विपिन चंद्रा, उत्तर प्रदेश राज्य-विपक्षी संख्या 1 के विद्वान शासकीय अधिवक्ता, विपक्षी संख्या 3- बाल कल्याण समिति को विद्वान अधिवक्ता सुश्री रफीका अनीस खान को सुना गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।
2. संशोधित पुकार में भी प्रथम सूचनादाता की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ।
3. वर्तमान जमानत प्रार्थना पत्र, आवेदक द्वारा मुकद्दमा अपराध संख्या 328 वर्ष 2025, भारतीय न्याय संहिता की धारा 137(2), 87, 64(1) और लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 की धारा 5जे (ii)/ 6, थाना- कोतवाली चुनार, जिला- मिर्जापुर में जमानत पर रिहाई की मांग करते हुए दाखिल किया गया है।

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



4. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि आवेदक निर्दोष है और उसे वर्तमान मामले में झूठा फंसाया गया है। कथित घटना 09.07.2025 को हुई थी, जबकि प्रथम सूचना रिपोर्ट तीन दिन बाद 12.07.2025 को दर्ज कराई गई थी। प्रथम सूचना रिपोर्ट में यह आरोप है कि पीड़िता की आयु लगभग 16 वर्ष थी। हालाँकि, अस्थिकरण परीक्षण रिपोर्ट के अनुसार, पीड़िता की आयु 18-19 वर्ष के बीच पाई गई। यह आगे तर्क दिया गया है कि पीड़िता एक सहमत पक्ष थी और आवेदक तथा पीड़िता का विवाह पुणे के एक मंदिर में संपन्न हुआ था, जिसे पीड़िता ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 180 और 183 के अंतर्गत दर्ज अपने बयानों में स्वीकार किया है। पीड़िता ने स्वीकार किया कि उसने अपने परिवार के सदस्यों द्वारा प्रताड़ित किए जाने के कारण अपना घर छोड़ दिया था और आवेदक के साथ पुणे की यात्रा की थी। उसने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 183 के अंतर्गत दर्ज अपने बयान में आगे स्वीकार किया कि वह पिछले डेढ़ वर्ष से आवेदक से प्रेम करती थी। आवेदक और पीड़िता पुणे में ढाई महीने की अवधि तक एक साथ रहे, और इस अवधि के दौरान उसके द्वारा कोई शोर-शराबा नहीं मचाया गया। पीड़िता द्वारा आवेदक के विरुद्ध कोई आरोप नहीं लगाया गया, और उसने कहा है कि वह छह सप्ताह की गर्भवती है। उसने आवेदक के साथ रहने की इच्छा व्यक्त की है। यह आगे तर्क दिया गया है कि, अन्वेषण के दौरान दर्ज पीड़िता के बयानों पर विचार करते हुए, आवेदक के विरुद्ध कोई भी आपराधिक अपराध नहीं बनता है। यह आगे प्रस्तुत किया गया है कि आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। वह 27.09.2025 से जेल में निरुद्ध है और यदि उसे जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा और विचारण में सहयोग करेगा।
5. इसके विपरीत, विद्वान शासकीय अधिवक्ता और विपक्षी संख्या 3 के विद्वान अधिवक्ता ने आवेदक को जमानत देने की प्रार्थना का विरोध किया है और प्रस्तुत किया है कि अपराध में उसकी संलिप्तता के संबंध में आवेदक के विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य हैं, इसलिए, वह जमानत पर रिहा होने का हकदार नहीं है।
6. पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत परस्पर विरोधी तर्कों, आरोपों की प्रकृति, पत्रावली पर लाए गए साक्ष्य, आवेदक द्वारा काटी गई कारावास की अवधि, किसी भी आपराधिक इतिहास की अनुपस्थिति पर विचार करने के उपरांत तथा मामले के गुण-दोष पर कोई राय

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



व्यक्त किए बिना, यह न्यायालय पाता है कि आवेदक ने जमानत प्रदान करने का मामला बनाया है।

7. तदनुसार, जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।
8. उपर्युक्त मुकद्दमा अपराध में संलिप्त आवेदक- मोहित पासवान को, संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के लिए एक व्यक्तिगत बंधपत्र और उसी समान राशि की दो प्रतिभूतियां प्रस्तुत करने पर, निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए। इसके अतिरिक्त, रिहाई आदेश जारी करने से पूर्व, प्रतिभूतियों का सत्यापन किया जाए:

(i) आवेदक इस आशय का एक वचनपत्र दाखिल करेगा कि जब गवाह न्यायालय में उपस्थित होंगे तो वह साक्ष्य के लिए निर्धारित तिथि पर कोई स्थगन नहीं मांगेगा। इस शर्त के उल्लंघन की स्थिति में, विचारण न्यायालय के लिए यह खुला होगा कि वह इसे जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग माने और विधि के अनुसार आदेश पारित करे।

(ii) आवेदक विचारण न्यायालय के समक्ष निर्धारित प्रत्येक तिथि पर या तो व्यक्तिगत रूप से या अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित रहेगा। पर्याप्त कारण के बिना उसकी अनुपस्थिति के मामले में, विचारण न्यायालय उसके विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 229-ए / भारतीय न्याय संहिता की धारा 269 के अंतर्गत कार्यवाही कर सकता है।

(iii) यदि, विचारण के दौरान आवेदक जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग करता है और उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 82 / भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 84 के अंतर्गत उद्घोषणा जारी की जा सकती है और यदि आवेदक ऐसी उद्घोषणा में निर्धारित तिथि पर न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने में विफल रहता है, तो विचारण न्यायालय विधि के अनुसार, उसके विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 174-ए / भारतीय न्याय संहिता की धारा 209 के अंतर्गत कार्यवाही प्रारंभ करेगा।

(iv) आवेदक (1) मामले के आरंभ होने, (2) आरोप तय होने और (3) दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 / भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 351 के अंतर्गत बयान दर्ज होने के लिए निर्धारित तिथियों पर विचारण न्यायालय के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहेगा। यदि

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



विचारण न्यायालय की राय में आवेदक की अनुपस्थिति जानबूझकर या बिना किसी पर्याप्त कारण के है, तो विचारण न्यायालय के लिए इस तरह की चूक को जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग मानने और विधि के अनुसार उसके विरुद्ध कार्यवाही करने का विकल्प खुला रहेगा।

9. उपरोक्त किसी भी शर्त के उल्लंघन के मामले में, यह जमानत निरस्त करने का आधार होगा।
10. यह स्पष्ट किया जाता है कि आवेदक को जमानत देने में की गई टिप्पणियां किसी भी तरह से विद्वान विचारण न्यायाधीश को गवाहों की गवाही के आधार पर अपनी स्वतंत्र राय बनाने में प्रभावित नहीं करेंगी।

(विवेक कुमार सिंह, न्यायमूर्ति)

23 जून, 2026

राधिका

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"